



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255774
CG-DL-E-26072024-255774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2823]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/ श्रावण 3, 1946

No. 2823]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/ SHRAVANA 3, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2961(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीबी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 2705(अ) दिनांक 11.07.2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एनडीडीबी अधिनियम, 1987 के तहत संगत धारा	कार्यकाल
1.	श्री गुलशन बामरा (भा.प्र.से.) प्रधान सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	8 (2) (ग)	अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक या मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में रहने तक, या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो।

2.	डॉ. एन. विजय लक्ष्मी (भा.प्र.से.) प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	8 (2) (ग)	अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक या बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में रहने तक, या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो।
3.	डॉ. जी एस रजोरिया	पूर्व अध्यक्ष इंडियन डेयरी एसोसिएशन	8 (2) (ड) सदस्य विशेषज्ञ	अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

[फा. सं. एम-03017/1/2022-प्रशा०-4]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का. आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक 10/11.1.;2007, का. आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का. आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12 मार्च, 2016, का. आ. सं. 1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का. आ. सं. 684(अ) दिनांक 28.02.2017 का. आ. सं. 1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. सं. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. सं. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का. आ. सं. 5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. सं. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का. आ. सं. 1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. सं. 2099(अ), दिनांक 19 जून, 2019, का. आ. सं. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. सं. 1451(अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. सं. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का. आ. सं. 2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021, का. आ. सं. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021, का. आ. सं. 5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, का. आ. सं. 2650(अ), दिनांक 9 जून, 2022, का. आ. सं. 957(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, का. आ. सं. 4987(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2023 तथा का. आ. सं. 2705(अ), दिनांक 11.07.2024 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2961(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates with immediate effect the following persons to be the Directors on the Board of Directors of National Dairy Development Board, for the period indicated against the name and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying S.O. 2705(E) dated 11.07.2024:-

Sl.No.	Name	Designation	Relevant Section under NDDB Act, 1987	Tenure
1.	Shri Gulshan Bamra (IAS) Principal Secretary, Animal Husbandry and Dairy Department	Chairman, Madhya Pradesh State Cooperative Dairy Federation Ltd.	8(2)(c)	One year from the date of notification OR Upto the period as Chairman, Madhya Pradesh State Cooperative Dairy Federation Ltd. OR till further orders, Whichever is earlier.
2.	Dr. N. Vijaya Lakshmi (IAS) Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department	Chairperson, Bihar State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd.	8(2)(c)	One year from the date of notification OR Upto the period as Chairperson, Bihar State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd. OR till further orders, Whichever is earlier.
3.	Dr. G S Rajorhia	Former President Indian Dairy Association	8(2)(e) Member expert	Two years from the date of Notification OR till further orders, Whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note - The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7.2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No 1076 (E) dated 12-03-2016, S.O. No 1674 (E) dated 03-05-2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27.3.2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27.05.2019, S.O.No.2099(E) dated 19.06.2019, S.O.No.4352(E) dated 04.12.2019 and S.O.No.1451(E) dated 8.5.2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021, S.O.No.3258(E) dated 11.08.2021, S.O.No. 5477(E) dated 30.12.2021, S.O.No. 2650(E) dated 09.06.2022, S.O.No. 957(E) dated 28.02.2023, S.O.No. 4987(E) dated 17.11.2023 and S.O. 2705(E) dated 11.07.2024.